न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 82/11 (RCMS No. 2011/00055) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

दुर्गा प्रसाद पुत्र रघुवीर जाति जोगी निवासी सिरोली तहसील किरावली जिला आगरा उ.प्र.

.....अपीलान्ट

बनाम

1. किशन पाल पुत्र ग्यासी जाति जोगी निवासी ग्राम सिरोली किरावली जिला आगरा उत्तर प्रदेश
2. रघुवीर पुत्र गोकल जाति जोगी निवासी ग्राम सिरोली तहसील किरावली जिला आगरा

..... **रैस्पो0**

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 19.07.2011 एवं नामा0 सं0 1076 दिनांक 18.08.2010 तहसीलदार रूपवास

उपस्थितिः—

1. श्री दीपक शर्मा वकील अपीलान्ट

नि र्ण य **दिनांकः—13.07.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 19.07.2011 एवं तहसीलदार रूपवास द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1076 दिनांक 18.08.2010 वांके ग्राम ओडेल गद्दी तहसील रूपवास के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी 37 रकवा 2 बीघा 17 विस्वा, 38 रकवा 2 बीघा 14 विस्वा किता 2 रकवा 5 बीघा 11 विस्वा वांके ग्राम ओडेल गद्दी वयनामे के आधार पर रघुवीर पुत्र गोकल कौम जोगी के स्थान पर किशनपाल पुत्र ग्यासी जोगी के नाम नामान्तरकरण संख्या 1076 दिनांक 18.08.2010 को तहसीलदार रूपवास द्वारा तस्दीक किया गया। इस नामा0 आदेश के विरूद्ध रघुवीर बिक्रेता के पुत्र दुर्गाप्रसाद ने अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि विवादित आराजी पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई पैत्रिक आराजी है जिस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर सभी वारिसान काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी रैस्पो0 सं0 2 अपीलान्ट के पिता रधुवीर के नाम खातेदारी का इन्द्राज है। इस बाबत् उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में दावा आंशिक रूप से दिनांक 07.07.08 को डिक्री किया जाकर कुरेजात के लिये तहसीलदार रूपवास को आदेश दिया गया है। विवादित आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय का स्थगन व दावा डिक्री होने के बाबजूद भी पैत्रिक आराजी का वयनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है, जो उचित नही है। अतः नामा0 निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2011 में यह माना कि उक्त दावे में क्रेता पक्षकार नही था। नामा0 वयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है जो उचित है। अपीलान्ट अपने स्वत्व/अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने के लिये स्वतंत्र हैं। अतः अपील खारिज कर दी थी। उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

रैस्पो0 की ओर से श्री बच्चू सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया था परन्तु लगभग 2 वर्ष से न्यायालय में उपस्थित नही आ रहे है। अतः अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 36 रकवा 3 बीघा 01 विस्वा, 37 रकवा 2 बीघा 17 विस्वा, 38 रकवा 2 बीघा 14 विस्वा कुल किता 3 रकवा 8 बीघा 12 विस्वा वांके ग्राम ओडेल गददी तहसील रूपवास अपीलान्ट व रैस्पो0 सं0 2 के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई आराजी है। जिस पर अपीलान्ट व रैस्पो0 सम्मलित रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु रैस्पो0 सं0 2 रघुवीर के नाम रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। अपीलान्ट ने रैस्पो सं0 2 व उसकी पत्नि के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में दावा पेश किया था जिसमें धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था। न्यायालय ने दिनांक 08.01.2004 को जारी शुदा टी.आई ताफैसला दावा कन्फर्म कर दिया था तथा अपीलान्ट का दावा दिनांक 07.07.08 को आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार रूपवास से कुरेजात मंगवाने हेतु निर्णय दिया गया है जो दावा अभी तक पेडिंग है। जिसमें कुरे आना बाकी है। उक्त दावे में रैस्पो0 सं0 1 किशनपाल ने आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार मुकदमा बनाने के लिये प्रार्थना की जो दिनांक 05.01.04 को अदम हाजरी प्रार्थी खारिज कर दी गई जिसकी कोई निगरानी किशनपाल द्वारा पेश नही की गई और न ही कोई आगे कार्यवाही की गई। तहसीलदार ने स्थगन आदेश होते हुऐ भी वयनामा का दाखिल खारिज तस्दीक कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे में स्थगन तो माना है परन्तु यह मानना उचित नही है कि रैस्पो0 सं0 1 किशनपाल पक्षकार मुकदमा नही है। जबकि किशनपाल ने प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार मुकदमा बनाने के लिये प्रार्थना की जो दिनांक 05.01.04 को अदम हाजरी प्रार्थी खारिज कर दी गई। उक्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद था। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय का यथास्थिति बनाने रखने का आदेश ता फैसला मुकदमा दावा आज तक जारी है। जिससे किशनपाल पूरी तरह पाबन्द है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नही किया है। तहसीलदार ने नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की पालना नही की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर हर दो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश क्रमश दिनांक 18.08.2010 एवं 19.07.2011 निरस्त किये जावे।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी 37 रकवा 2 बीघा 17 विस्वा, 38 रकवा 2 बीघा 14 विस्वा किता 2 रकवा 5 बीघा

11 विस्वा वांके ग्राम ओडेल गद्दी वयनामे के आधार पर रघुवीर पुत्र गोकल कौम जोगी के स्थान पर किशनपाल पुत्र ग्यासी जोगी के नाम नामान्तरकरण संख्या 1076 दिनांक 18.08.2010 को तहसीलदार रूपवास द्वारा तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2011 में यह माना कि उक्त दावे में क्रेता पक्षकार नही था। नामा0 वयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है जो उचित है। अपीलान्ट अपने स्वत्व/ अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने के लिये स्वतंत्र हैं। अतः अपील खारिज कर दी थी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह जाहिर है कि विवादित नामान्तरकरण वयनामा दिनांक 03.01.2001 के आधार पर एवं उपखण्ड अधिकारी के स्टे खारिज आदेश दिनांक 14.06.2010 की पालना में तहसीलदार ने दर्ज किया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। जहॉ तक पैत्रिक आराजी का प्रश्न है। यह दावे में तय होगा। अपीलान्ट का दावा आंशिक रूप से प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये हैं। अपीलान्ट का दावा अन्तिम डिक्री होने के बाद राजस्व रिकार्ड में उस डिक्री के आधार पर ही अमल होगा। चूॅकि नामान्तरकरण वयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण को विधि विरूद्ध नही माना जा सकता है। पंजीकृत वयनामा के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण को सही मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रृटि नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधर पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक क्रमशः 18.08.2010 एवं 19.07.2011 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official